राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024 / 15 भाद्रपद, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 4 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1-89 / 2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 केअन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक,

2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26) जो आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2024 का विधेयक संख्यांक 26

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 6 का प्रतिस्थापन।
4. धारा 26 का संशोधन।
5. धारा 39 का संशोधन।
6. धारा 40 का संशोधन।
7. धारा 41 का संशोधन।
8. धारा 43 का संशोधन।
9. धारा 44 का संशोधन।
10. धारा 47 का संशोधन।
11. धारा 53 का संशोधन।
12. धारा 66 का संशोधन।
13. धारा 67 का संशोधन।
14. धारा 68 का संशोधन।

———————

2024 का विधेयक संख्यांक 26

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **धारा 2 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में खंड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(बक) ''नकली शराब'' से अनुचित आसवन द्वारा बनाई गई शराब अभिप्रेत है;''।

3. **धारा 6 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"6. आबकारी अधिकारियों के अन्य वर्ग तथा उनकी शक्तियां और अधिकारिता.––(1) अधिकारियों के उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित वर्ग होंगे:

(i) राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग का कोई अधिकारी, जो सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो और उससे ऊपर की पंक्ति वाले समस्त अधिकारी; और

(ii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार से नीचे की पंक्ति का न हो।

(iii) पुलिस अधिकारी जो पुलिस विभाग में सहायक उप–निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो।

(2) उपरोक्त आबकारी अधिकारी इस अधिनियम, की धारा 8, 9, 10, 12 और 54 के अधीन प्रवेश करने, निरीक्षण करने, अन्वेषण करने, तलाशी और अभिग्रहण करने और सूचना अभिप्राप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस से सैकण्डमेंट आधार पर पुलिस कर्मचारी (पदधारी) नियुक्त करेगी।''।

4. **धारा 26 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 26 में,–

(क) उप–धारा (1) में ''जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''तीस हजार रुपए के जुर्माने से'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप–धारा (2) में ''तीन मास तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर '' छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए का होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

5. **धारा 39 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 39 में, –

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–'

(1) जो कोई भी, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास के उल्लंघन में,–

(क) किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन, विनिर्माण, अधिकार में रखता है, आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या

(ख) किसी डिस्टिलरी ब्रुअरी या वाइनरी या भाण्डागार का निर्माण या संचालन करता है, या

(ग) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोई भी सामग्री, भट्ठी (स्टिल) बर्तन, उपकरण या साधित्र, चाहे जैसा भी हो, का उपयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है,

तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी परंतु छः मास से कम नहीं होगी, और जुर्माना, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा परन्तु पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा :

परंतु यदि कोई अपराध–

(i) किसी भी प्रकार की शराब के विनिर्माण के लिए चालू भट्ठी (स्टिल) के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास की अवधि जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना, जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो एक लाख से कम नहीं होगा;

(ii) लाहन के कब्जे से सम्बद्ध है तो कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी परन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ;

(iii) हिमाचल प्रदेश में अनुज्ञप्त किसी डिस्टलरी या भाण्डागार से अन्यथा विनिर्मित देशी शराब के कब्जे से सम्बद्ध.–

(क) साढ़े सात लीटर से अनधिक मात्रा के लिए कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो छः मास से कम नहीं होगी और जुर्माना, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा; और

(ख) साढ़े सात लीटर से अधिक मात्रा के लिए, कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी परंतु जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा परन्तु एक लाख रुपए से कम नहीं होगा;

(iv) विदेशी शराब, जिसका –

(क) भारत में अनुज्ञप्त किसी डिस्टिलरी या ब्रुअरी या वाइनरी या भाण्डागार में विनिर्माण हुआ हो ; या

(ख) भारत में आयात किया गया हो और जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय हो; के कब्जे से सम्बद्ध है, तो कारावास की अवधि जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना तीन लाख रूपये तक हो सकेगा परन्तु जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगाः

परन्तु यह और कि यदि कोई अपराध

(i) **"हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए"** दो सौ पच्चीस लीटर से अधिक देशी शराब या **"हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए"**, से भिन्न अठारह लीटर शराब; या

(ii) **"हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए"** दो सौ पच्चीस लीटर से अधिक विदेशी शराब या **"हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए,"** से भिन्न अठारह लीटर शराब; या

(iii) पांच लीटर से अधिक अन्य स्पिरिट जिसकी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र और पास देने का उपबन्ध है के आयात, निर्यात या परिवहन से सम्बद्ध हो,

तो कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी परन्तु एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, परन्तु एक लाख रुपए से कम नहीं होगा; और

(ख) उप–धारा (2) में, ''छः मास से कम नहीं होगी, परन्तु जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, और जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, परन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''तीन वर्ष तक हो सकेगी परन्तु एक वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगा परन्तु जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

6. **धारा 40 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 40 में,–

''छः मास, से कम नहीं होगा परन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना से जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा, परन्तु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा, ''शब्दों के स्थान पर'' तीन वर्ष, और जुर्माने से जो तीन लाख रुपए होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

7. **धारा 41 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 41 में,––

(क) ''विजातीय घटक'' शब्दों के पश्चात् ''या नकली शराब'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) में, ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो दो लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर '' एक वर्ष होगी और जुर्माने से, जो दो लाख पचास हजार होगा;

(ग) खण्ड (घ) में, ''जो छः मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा '' शब्दों के स्थान पर '' जो छः मास होगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपए का होगा'' शब्द रखे जाएंगे; और

(घ) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ङ) अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात,–

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती है, के लिए किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को या तो स्वयं द्वारा या उसकी ओर से या उससे संबंधित या उससे सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करना वैध नहीं होगा। यदि जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलक्टर को पता चलता है कि कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है, तो ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से रहित होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।''।

8. **धारा 43 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 43 में, ''जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा लेकिन पांच हजार रूपए से कम नहीं होगा '' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए तक हो सकेगा लेकिन पंद्रह हजार रूपए से कम नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

9. **धारा 44 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 44 में, ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, शब्दों के स्थान पर ''एक वर्ष होगा और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 47 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 47 में, ''एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार से कम नहीं होगा '' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. धारा 53 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 53 के परन्तुक में, ''अजमानतीय'' शब्द से पहले ''संज्ञेय और'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

12. धारा 66 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(क) उप–धारा (1) में, ''न्यूनतम पाँच हजार रुपए के अध्यधीन पच्चीस हजार रुपए से अनधिक'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप धारा (2) में, ''ऐसी शास्ति, जैसी वह नियत करे'' शब्दों के स्थान पर ''शास्ति जो खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के मामले में एक लाख रुपए तक हो सकेगी और थोक विक्रेता या विनिर्माणकर्ता या बोतलबंदी संयंत्रों के मामले में एक लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 67 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

''(1) धारा 39 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या उसके पश्चात **''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए''**, अठारह लीटर लाहन या दो सौ पच्चीस बल्क लीटर तक शराब या **''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए''** से भिन्न अठारह बल्क लीटर तक शराब के आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे से संबंधित किए गए किसी भी अपराध का शमन अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन परः–

(i) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, आबकारी अधिकारी श्रेणी प्रथम द्वारा जो (जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो), और

(ii) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा **''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए''** पैंतालीस बल्क लीटर तक शराब; या

''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए'' से भिन्न अठारह लीटर लाहन या अठारह बल्क लीटर शराब की मात्रा के लिए ऐसी रकम जो पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी किन्तु जो दस हजार रूपए से कम की नहीं होगी, स्वीकार करके तथा **''हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए''** पैंतालीस बल्क लीटर से अधिक दो सौ पच्चीस बल्क लीटर शराब की मात्रा के लिए ऐसी रकम जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी किन्तु जो तीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी स्वीकार करके, शमन किया जा सकेगा।''।

14. धारा 68 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 68 की उप–धारा (2) में, ''उपधारा (1) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित किसी आदेश'' शब्दों के स्थान पर, ''कलक्टर द्वारा पारित मूल या अपीली आदेश,'' शब्द रखे जाएंगे।

––––––––––

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) मादक शराब के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय और विक्रय तथा मद्यसार शराब पर शुल्क के

अधिग्रहण से संबंधित विधि को समेकित करने, संशोधन करने और अद्यतन करने के उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। पूर्वोक्त अधिनियम राज्य सरकार को शराब के आयात, निर्यात और परिवहन का निषेध करने या अनुज्ञात करने की और शराब के परचून तथा थोक विक्रय की सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

पूर्वोक्त अधिनियम के अधिनियमित होने से लेकर समय–समय पर बहुत सी चुनौतियां जैसे कि शराब का अवैध विनिर्माण, व्यापार और उपभोग, जिससे कि कई बार मानव जीवन को क्षति पहुंची है, सामने आयी है। इसलिए, शराब का निरंतर बढ़ता अवैध विनिर्माण, खरीद फरोख्त और नकली शराब के उपभोग की बुराई का अंत करने के आशय से शास्तियां, शराब की जब्ती और अपराध को कारित करने में प्रयुक्त प्रवहन आदि के संबंध में और अधिक कठोर उपबंध करना समीचीन हो गया है।

इसलिए प्रस्तावित विधेयक शराब के विनिर्माण, कब्जा, जब्ती और निपटान आदि से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है जिससे अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच और विचारण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीख : ....., 2024.

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्याक 33) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

———————————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : .....2024.

———————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Substitution of section 6.
4. Amendment of section 26.
5. Amendment of section 39.
6. Amendment of section 40.
7. Amendment of section 41.
8. Amendment of section 43.
9. Amendment of section 44.
10. Amendment of section 47.
11. Amendment of section 53.
12. Amendment of section 66.
13. Amendment of section 67.
14. Amendment of section 68.

Bill No. 26 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (w), the following clause shall be inserted, namely:—

"(wa) "spurious liquor" means liquor made by improper distillation;".

3. Substitution of section 6.—For section 6 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"6. Other classes of Excise Officers and their powers and jurisdiction.—(1) There shall be the following classes of officers within their respective jurisdictions:—

(i) an officer not below the rank of Assistant State Taxes and Excise Officer in the State Taxes and Excise Department;
(ii) Executive Magistrate not below the rank of Tehsildar; and
(iii) Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector in the Police Department.

(2) The aforesaid Excise Officers shall exercise the powers to enter, inspect, investigate, search and seize and obtain information under sections 8, 9, 10, 12 and 54 of this Act.

(3) The State Government shall, by notification appoint Police Officer or Official, on secondment basis from the Himachal Pradesh Police, for carrying out the purposes of this Act.''.

4. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "which may extend to ten thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees" the words "of thirty thousand rupees'' shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words **"**three months and with fine which may extend to fifty thousand rupees" , the words "six months or with fine of fifty thousand rupees'' shall be substituted.

5. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Whoever, in contravention of any provisions of this Act, or of the rules made thereunder or notification issued, or any order made, or of any license, permit or pass granted under this Act—

(a) produces, manufactures, possesses, imports, exports or transports any liquor, or

(b) constructs or works any distillery or brewery or winery or warehouse, or

(c) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus whatsoever, for the purpose of manufacturing or producing any liquor,

shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than six months and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than fifty thousand rupees:

Provided that in the case of an offence relating to the possession of-

(i) a working still for manufacture of any liquor, the imprisonment for a term which may extend to five years but shall not be less than three years and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees;

(ii) lahan, the imprisonment for a term which may extend to five years but shall not be less than one year and with fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than fifty thousand rupees;

(iii) country liquor manufactured otherwise than in a licensed distillery or warehouse in Himachal Pradesh—

(a) in a quantity not exceeding seven-and-a-half litres, the imprisonment for a term which may extend to one year but shall not be less than six months and with fine which may extend to one lakh rupees but shall not be less than thirty thousand rupees; and

(b) in a quantity exceeding seven-and-a-half litres, the imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees;

(iv) foreign liquor other than,—

(a) manufactured in a licensed distillery or brewery or winery or warehouse in India; or

(b) imported into India on which custom duty is leviable under the Customs Tariff Act, 1975 or the Customs Act, 1962,

the imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees:

Provided further that in the case of an offence relating to import, export or transport of-

(i) country liquor exceeding two hundred and twenty-five litres "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen litres of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH"; or

(ii) foreign liquor exceeding two hundred and twenty-five litres, "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen litres of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH"; or

(iii) other spirits for which there is provision for grant of license, permit and pass, exceeding five litres,

such imprisonment for a term which may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees."; and

(b) in sub-section (2), for the words "shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees", the words "may extend to three years but shall not be less than one year and with fine which may extend to three lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees ", shall be substituted.

6. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, for the words "six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees", the words "three years and with fine of three lakh rupees " shall be substituted.

7. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act,—

(a) after the words "foreign ingredient" the words "or spurious liquor" shall be inserted;

(b) in clause (c), for the words "which may extend to one year and with fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees", the words "of one year and with fine of two lakh fifty thousand rupees'' shall be substituted;

(c) in clause (d), for the words "which may extend to six months and with fine which may extend to one lakh rupees", the words "for a term of six months and with fine of one lakh rupees" shall be substituted; and

(d) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) It shall not be lawful for any person to whom this section applies to hold any illegally acquired property either by himself or through any other person on his behalf or related to or associated with him. If the District Magistrate or the Collector finds that any property has been illegally acquired, such property shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

8. Amendment of section 43.—In section 43 of the principal Act, for the words " fifty thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees", the words "one lakh rupees but shall not be less than fifteen thousand rupees" shall be substituted.

9. Amendment of section 44.—In section 44 of the principal Act, for the words "which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees", the words "of one year and with fine of fifty thousand rupees" shall be substituted.

10. Amendment of section 47.—In section 47 of the principal Act, for the words "may extend to one thousand rupees", the words "shall not be less than ten thousand" shall be substituted.

11. Amendment of section 53.—In section 53 of the principal Act, in the proviso, before the words "non-bailable", the words "cognizable and" shall be inserted.

12. Amendment of section 66.—In section 66 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "not exceeding twenty five thousand rupees subject to a minimum of five thousand rupees", the words "which may extend to fifty thousand rupees but shall not be less than twenty five thousand rupees" shall be substituted.

(b) in sub-section (2), for the words and sign "such penalty, as it may fix,", the words " penalty which may extend to one lakh rupees in case of retail licensee and one lakh rupees to five lakh rupees in case of wholesaler or manufacturer or bottling plants" shall be substituted.

13. Amendment of section 67.—In section 67 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in section 39, any offence whether committed before or after the commencement of this Act relating to the import, export, transport or possession upto eighteen litres of lahan or two hundred and twenty-five bulk liters of liquor "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen bulk-liters of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" may, on an application made by the accused, be compounded:—

(i) before institution of the prosecution, by the Excise Officer of first class (not below the rank of the Excise Officer Incharge of the District), and

(ii) after institution of the prosecution, by the Judicial Magistrate of first class,

by accepting an amount which may extend to twenty-five thousand rupees but shall not be less than ten thousand rupees for quantity upto forty-five bulk litres of liquor "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" or eighteen litres of lahan or eighteen bulk litres of liquor other than "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH" and an amount which may extend to one lakh rupees but shall not be less the thirty thousand rupees for quantity of liquor exceeding forty-five bulk litres upto two hundred bulk litres of liquor "FOR SALE IN HIMACHAL PRADESH".

14. Amendment of section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, signs and number "an order passed by the Collector, under sub-section (1)", the words "an original or appellate order passed by the Collector" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012) was enacted with an aim to consolidate, amend and update the law relating to production, manufacture, possession, import, export, transport, purchase and sale of intoxicating liquors and levy of duties on alcoholic liquors. The Act *ibid.* grants power to the State Government to prohibit or permit the import, export and transport of liquor and to set limits on the sale of retail and wholesale liquor.

Ever since the enactment of the Act *ibid*, many challenges, such as illicit manufacturing, trade and consumption of liquor which at times has led to loss of human lives, have emerged. Thus, in order to curb the menance of rising illicit manufacture, trafficking and consumption thereof, it has become expedient to make more stringent provisions in relation to penalities and confiscation of liquor and conveyances etc. used in committing the offence.

The proposed Bill thus seeks to streamline the procedure connected with the manufacturing seizure, confiscation and disposal etc. of liquor thereby bringing about effectiveness in the process of investigation and trial of offences under the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE……., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATEDLEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

THE……., 2024.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 4 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1-88 / 2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।